झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद
Jharkhand State Paramedical Council

रिम्स चिकित्सक आवास परिसर, बरियातु, राँची–834009, झारखण्ड, भारत
RIMS Doctors' Colony Campus, Bariatu, Ranchi-834009, Jharkhand, India
E-mail: jspcranchi@gmail.com Tele-Fax:–0651–2972681

(Constituted by the Department of Health, Medical Education & family Welfare, Government of Jharkhand vide Notification no- 7(A)/Paramed.-11-09/09-356(7A)Ranchi, Dated 17.9.2010)

डॉ॰ कृष्ण कुमार
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड सह
अध्यक्ष
Dr. Krishna Kumar
Director in Chief,
Health Services, Jharkhand cum
Chairman

प्रो॰ डॉ॰ विवेक कश्यप
पीएसएम विभाग,
रिम्स, राँची सह
सदस्य–सचिव एवं कार्यकारी निदेशक
Prof. Dr. Vivek Kashyap
PSM Dept.
RIMS, Ranchi cum
Member Secretary & Executive Director

प्रो॰डॉ॰ डी के सिन्हा
शल्य विभाग, रिम्स, राँची सह
परीक्षा नियंत्रक
Prof. Dr. D K Sinha
Surgery Dept. RIMS,
Ranchi cum
Examination Controller

प्रो॰डॉ॰आर के गुप्ता
चक्षु रोग विभाग, रिम्स, राँची सह
शैक्षणिक समन्वयक
Prof. Dr. R K Gupta
Dept. of Ophthalmology
RIMS, Ranchi cum
Academic Coordinator

डॉ॰ एम॰ दीपक लकड़ा
चक्षु रोग विभाग, रिम्स, राँची सह
निबंधक
Dr. M. Deepak Lakra
Dept. of Ophthalmology
RIMS, Ranchi cum
Registrar

सं॰सं॰–पा॰मे॰–06/2014 237

प्रेषक,

प्रो॰डॉ॰ विवेक कश्यप
सदस्य सचिव एवं कार्यकारी निदेशक
झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद, राँची।

सेवा में,

सचिव
अल–नूर चेरिटेबल ट्रस्ट, अखरा चौक, पुरानी राँची,
पो॰–जी॰पी॰ओ॰, कोतवाली, जिला–राँची, झारखण्ड।

राँची, दिनांक 10/11/2022

विषय:– अल–नूर इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी का नाम अंकित करते हुये अंक पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भ में कहना है कि काउन्सिल को अल–नूर इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, पुरानी राँची का नाम अंकित करते हुये चन्दन कुमार का **DMRT** पाठ्यक्रम में उत्तीर्णता का अंक पत्र 2019–2021 सत्र का प्राप्त हुआ है, जबकि आपके संस्थान को 2015 में काउन्सिल से मात्र **DMLT** पाठ्यक्रम संचालन की मान्यता प्रदान की गयी थी। ज्ञांतव्य है कि पारामेडिकल काउन्सिल के गठन 2010 के बाद झारखण्ड स्थित सभी सरकारी/गैर सरकारी पारामेडिकल संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों का डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों का अंक पत्र, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र एवं निबंधन प्रमाण पत्र झारखण्ड राज्य पारामेडिकल काउन्सिल द्वारा ही निर्गत किया जाता है। इस तरह से आपके द्वारा विभिन्न पारामेडिकल पाठ्यक्रमों के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र अवैध रूप से वितरित किये जा रहे है जो स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 356(7A) दिनांक 17/09/2010 के द्वारा निर्गत झारखण्ड पारामेडिकल/पारा डेन्टल निबंधन, नियंत्रण एवं परीक्षा संचालन तथा पारा मेडिकल परिषद् गठन नियमावली 2010 के कण्डिका 19(iii)(iv)(v), 24 एवं 25 का उल्लंघन है।

अतः उक्त नियमावली में अंकित कण्डिकाओं के आधार पर क्यों नहीं आपके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुये आपका इन्स्टीच्यूट पूर्णतः बन्द कर दी जाये, का लिखित स्पष्टीकरण 3 दिनों के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।

विश्वासभाजन

10/11/22

(सदस्य सचिव)

9/11/2022